न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 171/2022

1 जगदीश सिंह पुत्र माधोसिंह उम्र 72 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

2 किरण देवी पत्नी स्व. श्री बालूसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

3 मगन सिंह पुत्र स्व. बालूसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

4 रेखा कंवर पुत्री स्व. बालूसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

5 कमलेश पुत्री स्व. श्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

6 सुगन सिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 59 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

7 पृथ्वीसिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 66 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

8 रणवीर सिंह पुत्र श्री माधोसिंह उम्र 60 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

9 तारा कंवर पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 64 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

10 संतोष पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 62 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

11 चित्रा पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 58 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

12 कोशल्या पुत्री श्री माधोसिंह उम्र 56 साल जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र स्व. श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

2 बलबीरसिंह पुत्र स्व. श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

3 सुमित्रा पत्नी स्व. श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

4 ममता पुत्री स्व. श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

5 अनिता पुत्री स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

6 गोपाल पुत्र स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

7 रमेश पुत्र स्व. श्री नत्थूसिंह नवीरा हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

8 रघुवीर सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

9 भंवर कंवर पत्नी स्व. श्री महेशदान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

10 ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व. श्री महेशदान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

11 राजकुमार सिंह पुत्र स्व. श्री महेशदान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

12 कविता पुत्री स्व. श्री महेशदान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

13 रतनबाई पुत्री स्व. श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

14 संतरा देवी पत्नी स्व. श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

15 रामोतार सिंह पुत्र स्व. श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

16 रामचन्द्र सिंह पुत्र स्व. मेघसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

17 अनिता कंवर पत्नी स्व.श्री सियाराम जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

18 हर्ष पुत्र स्व. श्री सियाराम जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

19 निशा पुत्री स्व. श्री सियाराम जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

20 सोनू पुत्री स्व. श्री सियाराम जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

21 उम्मेद कंवर पत्नी स्व. श्री हरिकिशन जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

22 रामवीर पुत्र श्री स्व. श्री हरिकिशन जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

23 रामपाल सिंह पुत्र स्व. श्री हरिकिशन जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

24 मीना उर्फ लाली बाई पुत्री स्व. श्री हरिकिशन जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

25 राधेश्याम पुत्र स्व. श्री श्री फुलसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

26 गोविन्द सिंह पुत्र स्व. श्री फुलसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

27 छत्रपालसिंह पुत्र स्व. श्री देवीसिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

28 बबली पुत्री स्व. श्री देवीसिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

29 ओमकंवर पत्नी स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

30 राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

31 धर्मवीर पुत्र स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

32 लाली बाई पुत्री स्व. श्री शिशपालसिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

33 रीनूबाई पुत्री स्व. श्री शिशपाल सिंह नवीरा कानसिंह जाति राजपूत निवासी तिहाड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

34 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

35 कस्टोडियन विभाग, भारत सरकार दिल्ली।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 06.10.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी दावा
जगदीश सिंह बनाम भंवर सिंह वगै. दावा बाबत
घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 106/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री आबिद खान, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 8.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण को था। वादीगण ने विचारण न्यायालय में कुल 8 गवाहान प्रस्तूत किये तथा कुल 14 दस्तावेजात प्रस्तुत किये। तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिए बंदोबस्त स 1998 व जमाबन्दी संवत 2012 पर्याप्त दस्तावेजी सबूत होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने नाजायज व गैर कानूनी रूप से बंदोबस्त संवत 1998 को साक्ष्य में ग्राहय नही मानकर कानूनी भूल की है। विवादीत आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 33 कि पैत्रिक संपत्ति है। उक्त विवादित आराजी मिसल हकीयत/बंदोबस्त संवत 1998 व जमाबन्दी संवत 2012 में अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज माधोसिंह नाजायज व गैरकानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट स 35 के हक में दर्ज हुआ है जबकि हकीकत यह है कि उक्त विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा भूमि अपीलान्ट 1 लगायत 12 के पूर्वज माधोसिंह के हक में राजस्व रिकार्ड दर्ज रहा है। उक्त विवादित आराजी 1/4 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 13 के पूर्वज हनुमान सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। उक्त विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लगायत 25 जो स्व. फुलसिंह की खातेदारी में दर्ज रही है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 26 लगायत 33 के पूर्वज कानसिंह की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज रहा है। खसरा गिरदावरी संवत 2012 से संवत 2033 से ताईद होती है। खसरा गिरदावरी संवत 2012 से संवत 2033 से ताईद होती हैं। खसरा गिरदावरी स 2012 से 2033 में उक्त विवादित आराजी पर उक्त चारो भाईयों का कब्जा काश्त दर्ज है। उक्त विवादित आराजी को स्वर्गीय हनूमान सिंह, स्व. माधोसिंह, स्व फूलसिंह व स्व कानसिंह शांतिपूर्वक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उससे पहले से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हूये है उनके स्वर्गवास के उपरान्त अब उनके हिस्से की भूमि को अपीलान्ट व रेस्पो स 1 लगायत 33 मौके पर भौतिक रूप से काबिज है तथा काश्त करते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर महज बंदोबस्त संवत 1998 को साक्ष्य में ग्राहय नही मानते हुये अपीलांट के वाद को खारिज कर कानूनी भूल की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब अपीलान्ट के पूर्वज माधोसिंह व उसके भाई हनूमान सिंह फुलसिंह व कानसिंह के नाम बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। जिसकी ताईद जमाबन्दी स 2012 से होती है। उक्त विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या 35 का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त विवादित आराजी को स्व. माधोसिंह व उसके भाई हनूमान सिंह फुलसिंह व कानसिंह बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त रहे उनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त विवादित आराजी को अब अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 33 मौके पर भौतिक रूप से अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अपने की भूमि पर काबिज काश्त है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 8 द्वारा यह आपत्ति को स्वीकार करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा खारीज फरमाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 06.05.2022 पर गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बलबीर सिंह व 8 रघुवीर सिंह द्वारा विचारण न्यायालय में तथाकथित रूप से जवाबदावा प्रस्तुत किया है उक्त जवाबदावा कानूनन शामिल पत्रावली होने योग्य नहीं है। उक्त जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा तस्दीकशुदा नही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना व अपने न्यायिक विवेक का ईस्तेमाल किये बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10. 2022 प्रदान किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित भूमि ग्राम तिहाड़ा खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 132, 133, 134, 135, 147, 148, 158, 159 कुल किता 8 कुल रकबा 0.88 हैक्टेयर में अपना कोई हिस्सा होना साबित नहीं कर पाये है। वादग्रस्त भूमि कस्टोडियन विभाग भंवर सिंह बलबीरसिंह नत्थूसिंह रघूवीरसिंह महेशदान सिंह पिता हनुमानसिंह रतबाई पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है (प्रदर्श–1)। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध सरोकार साबित होना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद वादी खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)